

॥ कार्यालय आदेश ॥

का0आ0सं0-बी0/मु0स्था-02-01/2014/...75.../जे0, पटना, दिनांक-...08.07.14

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं0-70, दिनांक-21.02.2014 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के विज्ञापन सं0-110/2010 की अनुशांसा के आधार पर बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सहायक के पद पर वेतन बैड 9300-34800/- ग्रेड वेतन 4600/- में सर्वाधिक औपबंधिक रूप से नियुक्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के का0आ0 सं0-85, दिनांक-03.03.2014, सं0-105, दिनांक-14.03.2014 एवं सं0-126, दिनांक-27.03.2014 द्वारा विधि विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित निम्नांकित सहायकों का विधि विभागयी कार्यालय आदेश संख्या-26, दिनांक-06.03.2014, सं0-34, दिनांक-24.03.2014 एवं सं0-41, दिनांक-01.04.2014 द्वारा उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से योगदान स्वीकृत करते हुए तीन माह का औपबंधिक वेतनादि भुगतान का आदेश दिया गया है:-

क्रमांक	नवनियुक्त सहायक का नाम	मेघा क्रमांक	विधि विभाग में औपबंधिक योगदान स्वीकृति की तिथि
1.	2.	3.	4.
1	श्री वरूण कुमार पाण्डेय	130	03.03.2014 (अप0)
2	श्री अजीत कुमार	146	04.03.2014 (पूर्वा)
3	श्री राजीव कुमार झा	318	18.03.2014 (पूर्वा)
4	श्री संतोष कुमार सिंह	319	18.03.2014 (पूर्वा)
5	श्री संतोष कुमार	320	28.03.2014 (पूर्वा)
6	श्री रवीन्द्र कुमार	322	03.03.2014 (अप0)
7	श्री टुनटुन साह	324	18.03.2014 (पूर्वा)
8	श्री राजेश प्रसाद गुप्ता	779	28.03.2014 (पूर्वा)
9	श्री अरूण कुमार	780	04.03.2014 (पूर्वा)
10	श्री शिवेश्वर सुमन	1602	03.03.2014 (अप0)
11	श्री विजय कुमार	1615	03.03.2014 (पूर्वा)
12	श्री अजय कुमार	1838	28.03.2014 (पूर्वा)
13	श्री अरूण कुमार पासवान	5892	05.03.2014 (अप0)

2. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-9053, दिनांक-03.07.2014 द्वारा उपर्युक्त सभी नव नियुक्त सहायकों के औपबंधिक नियुक्ति को सम्पुष्ट करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्मित सेवा पुस्त की एक-एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करा दी गई है।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त पत्र के आलोक में विधि विभाग के का0आ0 सं0-26, दिनांक-06.03.2014, सं0-34, दिनांक-24.03.2014 एवं सं0-41, दिनांक-01.04.2014 की कंडिका-4 को एतद् द्वारा संशोधित करते हुए उपर्युक्त सभी नव नियुक्त सहायकों का औपबंधिक रूप से स्वीकृत योगदान को नियमित रूप से स्वीकृत करते हुए इन्हें नियमित वेतन भुगतान का आदेश दिया जाता है।

4. प्रस्ताव में प्रभारी सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-सुरेन्द्र कुमार

सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-...../जे0, पटना, दिनांक-.....,


प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-सुरेन्द्र कुमार

सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या:-.....५१९०...../जे0, पटना, दिनांक-...०.९/०३.१५.,

प्रतिलिपि:- विधि (लेखा) विभाग, बिहार, पटना (दोहरी प्रति में)/सभी नव नियुक्त सहायक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुरेन्द्र कुमार)

सरकार के अवर सचिव, बिहार।
०३/१५